18

वित्त संबंधी स्थायी समिति

(2024-25)

अठारहवीं लोक सभा

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

[सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2024-25)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

अठारहवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

जुलाई, 2025/श्रावण, 1947 (शक)

अठारहवां प्रतिवेदन

वित्त संबंधी स्थायी समिति

(2024-25)

(अट्ठारहवीं लोक सभा)

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

[सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2024-25)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

31 जुलाई ,2025 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

31 जुलाई , 2025 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

जुलाई, 2025/ श्रावण, 1947 (शक)

विषय वस्तु

प्रतिवेदन

समिति की संरचना		(iv)
प्रस्तावना		(v)
भाग-एक **पाठ का विश्लेषण**		
		पृष्ठ संख्या
अध्याय – एक	प्रतिवेदन	1
अध्याय – दो	टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	7
अध्याय – तीन	टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती	15
अध्याय – चार	टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं	16
अध्याय – पांच	टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं	17
	अनुबंध	
	29.07.2025 को आयोजित समिति की बैठक का कार्यवाही सारांश	18
	परिशिष्ट	
	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2024-25) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण	21

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2024-25) की संरचना

श्री भर्तृहरि महताब – सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अरुण भारती
3. श्री पी. पी.चौधरी
4. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
5. श्री गौरव गोगोई
6. श्री के.गोपीनाथ
7. श्री सुरेश कुमार कश्यप
8. श्री किशोरी लाल
9. श्री हरेन्द्र सिंह मलिक
10. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा
11. श्री अरुण नेहरू
12. श्री एन. के.प्रेमचन्द्रन
13. डॉ. सी. एम.रमेश
14. श्रीमती संध्या राय
15. प्रो. सौगत राय
16. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी
17. डॉ. जयंत कुमार राय
18. डॉ. के.सुधाकर
19. श्री मनीश तिवारी
20. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
21. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी

राज्य सभा

22. श्री पी. चिदम्बरम
23. श्री मिलिंद मुरली देवड़ा
24. डॉ .अशोक कुमार मित्तल
25. श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी
26. श्री एस.सेल्वागनबेथी
27. श्री संजय सेठ
28. डॉ. दिनेश शर्मा
29. श्रीमती दर्शना सिंह
30. डा. मु. तंबि दुरै
31. श्री प्रमोद तिवारी

सचिवालय

1. श्री गौरव गोयल — संयुक्त सचिव
2. श्री विनय प्रदीप बरवा — निदेशक
3. श्री कुलदीप सिंह राणा — उप सचिव
4. श्रीमती मृदुला दुबे — सहायक समिति अधिकारी

प्रस्तावना

मैं, वित्त संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2024-25) के संबंध में समिति (अठारहवीं लोक सभा) के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अठारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. पांचवां प्रतिवेदन 06 दिसंबर, 2024 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था/ राज्यसभा के पटल पर रखा गया था। टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से 03 फरवरी, 2025 को प्राप्त हो गये थे।

3. समिति ने 29 जुलाई, 2025 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

4. समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट में दिया गया है।

5. संदर्भ की सुविधा के लिए, समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

6. समिति, लोक सभा सचिवालय की इस समिति से संबद्ध अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता के लिए उनकी भी सराहना करना चाहेगी।

नई दिल्ली;
29 जुलाई, 2025
07 श्रावण, 1947 (शक)

श्री भर्तृहरि महताब
सभापति,
वित्त संबंधी स्थायी समिति

अध्याय-एक

प्रतिवेदन

वित्त संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुदानों की माँगों (2024-25) से संबंधित उनके पाँचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में है, जिसे 06 दिसंबर, 2024 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया/राज्य सभा के पटल पर रखा गया था।

1.2 प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 06 सिफारिशों के संबंध में सरकार से की-गई-कार्रवाई टिप्पण प्राप्त हो गई हैं। उत्तरों का विश्लेषण कर उन्हें निमन्वत श्रेणीवद्ध किया गया है ।

(एक) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:

सिफारिश संख्या 1,2,3,4,5 और 6

(कुल: 06)

(अध्याय- दो)

(दो) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:

सिफारिश संख्या शून्य

(कुल शून्य)

(अध्याय- तीन)

(तीन) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है:

सिफारिश संख्या शून्य

(कुल शून्य)

(अध्याय- चार)

(चार) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं:

सिफारिश संख्या शून्य

(कुल शून्य)

(अध्याय-पाँच)

1.3. समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में उत्तर समिति को यथाशीघ्र भेजे जाएं।

1.4. समिति अब अपनी कुछ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई उत्तरों पर विचार करेगी।

सिफारिश (क्रम सं. 1)

<u>बजटीय आबंटन</u>

1.5. समिति नोट करती है कि क्षमता विकास (सीडी) योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के 562.10 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में 234.43 करोड़ रुपये और वर्ष 2023-24 में 600.00 करोड़ रुपये के बजट आवंटन की तुलना में 170.06 करोड़ रुपये की निधियों की उपयोगिता में कमी (28.34% की कमी) मुख्य रूप से दो सर्वेक्षणों अर्थात समय उपयोग सर्वेक्षण और सेवा क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण की समय-सीमा में बदलाव के कारण से हुई। इन सर्वेक्षणों का फील्ड कार्य क्रमशः जनवरी 2024 (टीयूएस) और मई 2024 (एएसएसएसई पायलट) से शुरू किया गया है, और इस प्रकार इन शीर्षों के अंतर्गत आवश्यकता को तदनुसार संशोधित कर संशोधित अनुमान चरण में कम कर दिया गया था। हालांकि, वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में निधियों के उपयोग में मंत्रालय के कार्यनिष्पादन में उल्लेखनीय सुधार देखा गया क्योंकि मॉस्पी ने क्षमता विकास योजना के लिए संशोधित अनुमान 2022-23 की तुलना में 94.29% और बजट अनुमान 2022-23 की तुलना में 58.29% व्यय किया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 में, क्षमता विकास योजना के लिए संशोधित अनुमान 2023-24 की तुलना में 95.54% और बजट अनुमान 2023-24 की तुलना में 71.66% व्यय किया गया है। समिति बजटीय निधियों के उपयोग में इसी तरह के और प्रेरित करने वाले कार्यनिष्पादन की उम्मीद करती है और क्षमता विकास योजना के अंतर्गत समय पर सर्वेक्षण करके अप्रयुक्त राशि को कम करने की भी उम्मीद करती है।

1.6. अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने निम्नवत् बताया:-

> "स्थायी समिति की सिफारिश को अनुपालनार्थ नोट किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सीडी योजना के अंतर्गत निधियों की उपयोगिता और उपगत व्यय की साप्ताहिक आधार पर निगरानी की जा रही है और एक कार्य योजना तैयार करने तथा व्यय की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय के प्रभागों को समय-समय पर अनुदेश भी जारी किए जा रहे हैं, ताकि क्षमता विकास (सीडी) योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में निधियों की सामयिक उपयोगिता सुनिश्चित की जा सके।"

1.7 समिति यह नोट करती है कि मंत्रालय समय पर निधियों के उपयोग के लिए प्रयासरत है और इस संबंध में उसने एक समर्पित क्रियान्वयन योजना तैयार की है। तथापि, जैसा कि मंत्रालय ने बताया है कि समिति की टिप्पणियों/ सिफारिशों को "अनुपालनार्थ नोट किया गया है", समिति यह आशा करती है कि भविष्य में निधियों के कम उपयोग की घटना नहीं होगी। इसके अलावा, समय उपयोग सर्वेक्षण (टीयूएस) का प्राथमिक उद्देश्य पुरुषों, महिलाओं और अन्य समूहों के व्यक्तियों की भुगतान और गैर-भुगतान गतिविधियों में भागीदारी की जानकारी प्राप्त करना है, जिसमें देखभाल, स्वैच्छिक कार्य और घरेलू कार्य शामिल हैं, जो दैनिक सामाजिक जीवन पैटर्न में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जबकि वार्षिक सेवा क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण (एएसएसएसई) सेवा क्षेत्र जीवीए, स्थायी पूंजी, पूंजी निर्माण, रोजगार और अन्य प्रमुख विशेषताओं का राज्य और उद्योग स्तरों पर पता लगाने हेतु एक व्यापक डेटाबेस विकसित करने के लिए किया गया है। समिति इन दोनों सर्वेक्षणों के महत्व को स्वीकार करती है और यह चाहती है कि मंत्रालय सभी सर्वेक्षण से संबंधित कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए गंभीरतापूर्वक कार्य करे।

सिफारिश (क्रम सं. 4)

<u>राष्ट्रीय बाल सूचकांक का विकास</u>

1.8 समिति नोट करती है कि बाल अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा बच्चों के अस्तित्व, संरक्षण, भागीदारी और विकास से संबंधित कार्यक्रमों की निगरानी करने संबंधी नीति निरूपण और आयोजना के लिए समय पर विश्वसनीय आंकड़ों की बेहद जरूरत होती है, तथा इस पर और अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। बाल अधिकारों के मुद्दे का समाधान करने के लिए समिति सिफारिश करती है कि अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले बच्चों, बेघर बच्चों, स्कूल न जाने वाले बच्चों आदि के आंकड़े एकत्र करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। समिति नियमित बाल सर्वेक्षण करने तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर राष्ट्रीय बाल सूचकांक तैयार करने की सिफारिश करती है। समिति, मंत्रालय को राज्य सरकारों के साथ मिलकर पंचायतों/नगरपालिका निकायों को शामिल करने का सुझाव देती है, ताकि राष्ट्रीय बाल सर्वेक्षण के लिए डेटा संग्रह करने में सहायता मिल सके, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर बाल सूचकांक विकसित किया जा सके, ताकि समय-समय पर बाल सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों की आवश्यकताओं का पता लगाया जा सके और बाल श्रम को समाप्त करने तथा बाल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी नीति के संदर्भ में उपयुक्त प्रतिक्रिया की परिकल्पना की जा सके। समिति चाहती है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ समन्वय करके सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाए।

1.9 अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने निम्नवत् बताया:-

"सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने समय-समय पर सर्वेक्षण के माध्यम से मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत बच्चों की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय बाल सर्वेक्षण आयोजित करने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ सहयोग करने के लिए पहले ही चर्चा शुरू कर दी है। बाल सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य मिशन वात्सल्य के तहत बाल सूचकांक तैयार करना है, जो देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों और अपराध के दोषी 18 वर्ष से काम उम्र के बच्चों के लिए एक योजना है।

वर्तमान में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सर्वेक्षण में विचार किए जाने वाले संकेतकों तथा सर्वेक्षण में उपयोग किए जाने वाली रूपरेखा आदि के संदर्भ में आवश्यकताओं का पता लगा रहा है। जब महिला और बाल विकास मंत्रालय से उनकी आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाएगी, तो तकनीकी समूहों/संचालन समिति की सिफारिश/सहमति के अध्यधीन, सर्वेक्षण शुरू करने की व्यवहार्यता की खोज की जाएगी।"

1.10 समिति यह नोट करती है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत आवधिक सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए एक राष्ट्रीय बाल सर्वेक्षण कराने के संबंध में महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ सहयोग करने के लिए चर्चा प्रारंभ की है, और सर्वेक्षण की विभिन्न आवश्यकताओं पर कार्य किया जा रहा है। की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय इस समिति को इसके संबंध में नवीनतम विकास के बारे में अवगत कराया जाए।

सिफारिश (क्रम सं. 6)

<u>आठवीं आर्थिक गणना</u>

1.11 समिति समझती है कि आर्थिक जनगणना, सबसे निचले स्तर पर औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में गैर-कृषि प्रतिष्ठानों की कुल संख्या और उनमें नियोजित श्रमिकों की संख्या के साथ-साथ अन्य क्रॉस-सेक्शनल मापदंडों की जानकारी देती है। यह देश में सभी प्रतिष्ठानों की आर्थिक गतिविधियों, स्वामित्व पैटर्न, वित्त के स्रोत आदि के समूहों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करती है। समिति नोट करती है कि कोविड-19 महामारी के दौरान फील्डवर्क प्रभावित होने के कारण सातवीं आर्थिक गणना में अत्यधिक विलंब हुआ, जिसके कारण उसके डेटा की सटीकता को लेकर भ्रम बना हुआ है। सातवीं

आर्थिक गणना की स्थिति 13.07.2023 की बैठक में सचिवों की समिति (सीओएस) के समक्ष रखी गई और सीओएस ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि सातवीं आर्थिक गणना के परिणाम प्रकाशित करना संभव नहीं है, और मंत्रालय इसे प्रकाशित नहीं किया। इस संबंध में, समिति यह जानना चाहती है कि क्या अतीत में भी ऐसे उदाहरण रहे हैं, और इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा। साथ ही ऐसी असाधारण स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक तंत्र भी होना चाहिए। इस प्रकार, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि आठवीं आर्थिक गणना समय पर पूरी हो और एकत्र किए गए डेटा सटीक और विश्वसनीय हों। भविष्य में इसी तरह की समस्याओं से बचने के लिए, मंत्रालय को डेटा संग्रहण और प्रसंस्करण के लिए एक स्पष्ट समय-सीमा तय करनी चाहिए। मंत्रालय को आठवीं आर्थिक गणना के सफलतापूर्वक निष्पादन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के साथ भी सहयोग करना चाहिए। मंत्रालय को गणनाकर्ताओं को पर्याप्त प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए और बाधाओं को दूर करने के लिए ठोस गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

1.12 मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत् बताया: -

"7वीं आर्थिक गणना के अलावा, ऐसा कोई अन्य उदाहरण नहीं है, जहां आर्थिक गणना का परिणाम प्रकाशित न किया गया हो। 7वीं आर्थिक गणना के आंकड़ों को अंतिम रूप देने के समय, राज्य सरकारों ने छठी आर्थिक गणना से संबंधित आंकड़ों की तुलना में कवरेज, आर्थिक गतिविधि का गलत वर्गीकरण, दोहराव और असामान्य भिन्नताओं सहित डेटा से संबंधित कई मुद्दों की जानकारी दी। यह नोट किया गया कि जब अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद थे, तब क्षेत्र कार्य वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान आयोजित किया गया था, इसलिए डेटा देश में उद्यमशीलता गतिविधि का सही विवरण नहीं दे सकता है। इस प्रकार, विस्तृत चर्चा के बाद, दिनांक 13 जुलाई, 2023 को मंत्रिमंडल सचिव द्वारा ली गई बैठक में, यह सिफारिश की गई कि "7वीं आर्थिक गणना के परिणामों को प्रकाशित करना संभव नहीं हो सकता है"। भविष्य में, किसी आपदा/महामारी या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, असामान्य अवधि में डेटा संग्रहण से बचने के लिए आर्थिक गणना की समय-सीमा को समुचित रूप से संशोधित किया जाएगा। 8वीं आर्थिक गणना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के गहन समन्वय से कार्यान्वित की जाएगी। क्षेत्र कार्य/प्रशिक्षण/परिणामों को अंतिम रूप देने आदि की भूमिका राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। मंत्रालय ने 8वीं आर्थिक गणना के क्षेत्र कार्य और अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की है।"

1.13 समिति नोट करती है कि 7वीं आर्थिक गणना के परिणाम मुख्यतया कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण डेटा सटीकता संबंधी चिंताओं के कारण प्रकाशित नहीं किए गए। इसके अलावा, ऐसा कोई उदाहरण नहीं था, जहां किसी आर्थिक गणना के परिणाम प्रकाशित नहीं किए गए हों। अब मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि भविष्य में, आपातकाल/ महामारी अथवा प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, आर्थिक गणना की समय-सीमा को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा, ताकि असामान्य अवधि में डेटा संग्रह नहीं किया जाए। चूंकि आर्थिक गणना एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसलिए समिति यह आशा करती है कि यह उपाय दो सर्वेक्षणों के बीच की रिक्ति से बचने में प्रभावी होगा। समिति यह भी आशा करती है कि आठवीं आर्थिक गणना को समय पर प्रकाशित किया जाएगा।

अध्याय-दो
सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है
सिफारिश (क्रम सं. 1)

बजटीय आवंटन

समिति यह नोट करती है कि क्षमता विकास (सीडी) योजना के तहत 562.10 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2022-23 में 234.43 करोड़ रुपये और 600.00 रुपये के बजट आवंटन की तुलना में वर्ष 2023-24 में 170.06 करोड़ रुपये की कमी (28.34% की गिरावट) मुख्य रूप से दो सर्वेक्षणों, नामत: समय उपयोग सर्वेक्षण और वार्षिक सेवा क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण की समयसीमा में बदलाव के कारण हुई। इन सर्वेक्षणों का क्षेत्र कार्य क्रमशः जनवरी 2024 (टीयूएस) और मई 2024 (एएसएसएसई सर्वेक्षण) से शुरू किया गया है और इस प्रकार इन शीर्षों के तहत आवश्यकता को तदनुसार संशोधित अनुमान चरण में कम कर दिया गया। तथापि, वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में निधियों के उपयोग में मंत्रालय के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार देखा गया, चूकि सा. और कार्य. कार्या. मंत्रा. ने सीडी योजना के लिए संशोधित अनुमान 2022-23 की तुलना में 94.29% और बजट अनुमान वर्ष 2022-23 की तुलना में 58.29% व्यय किया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 में, सीडी योजना के लिए संशोधित अनुमान वर्ष 2023-24 की तुलना में 95.54% और बजट अनुमान वर्ष 2023-24 की तुलना में 71.66% व्यय किया गया है। समिति को बजटीय निधियों के उपयोग में समान और प्रेरक प्रदर्शन की आशा है और सीडी योजना के तहत सर्वेक्षणों को समय पर आयोजित करने के लिए बचत को कम करने की आशा है।

सरकार का उत्तर

स्थायी समिति की संस्तुति का अनुपालन किया गया है। इसके अतिरिक्त, सीडी योजना के अंतर्गत निधियों की उपयोगिता और उपगत व्यय की साप्ताहिक आधार पर निगरानी की जा रही है और एक कार्य योजना तैयार करने तथा व्यय की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय के प्रभागों को समय-समय पर अनुदेश भी जारी किए जा रहे हैं ताकि क्षमता विकास (सीडी) योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में निधियों की सामयिक उपयोगिता सुनिश्चित की जा सके।

[सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या एच-11011/03/2021-संसदीय प्रकोष्ठ दिनांक 03-02-2025]

(समिति की टिप्पणियों हेतु कृपया अध्याय - एक का पैरा सं. 1.7 देखें)

सिफारिश (क्रम सं. 2)

एमपीलैड्स

एमपीलैड्स योजना दिनांक 01/04/2023 से संशोधित की गई है और एक नया निधि प्रवाह तंत्र शुरु किया गया है और अब इस योजना का पूर्ण रूप से प्रबंध ई- साक्षी पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है जो एमपीलैड्स योजना के कार्यान्वयन के लिए शुरू से अंत तक एक वेब समाधान है। मंत्रालय के अनुसार नयी प्रणाली ने इस प्रक्रिया को सुसंगत बनाया है और इस प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ाई है। सदस्यों की संस्तुतियों के दायरे को और अधिक बढ़ाते हुए नये प्रावधान लाये गए हैं। विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर प्रणाली में निरंतर सुधार किया जा रहा है। संसद सदस्य इन सभी सुधारों के बावजूद भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। समिति अनुशंसा करती है कि सभी हितधारकों को ई-साक्षी पोर्टल के उपयोग पर व्यक्तिगत प्रशिक्षण देने के लिए नियमित जागरुकता कार्यशालाएँ आयोजित की जाएं ताकि योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके।

सरकार का उत्तर

चूंकि, संशोधित एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के जारी होने और संशोधित निधि प्रवाह प्रणाली के कार्यान्वयन और तदनुसार ई- साक्षी पोर्टल के आरंभ से, मंत्रालय ने माननीय सांसदों, जिला प्राधिकारियों, कार्यान्वयन एजेंसियों, राज्य नोडल विभाग और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में माननीय सांसदों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एमपीलैड योजना के हितधारकों के लिए 50 कार्यशालाएँ/प्रशिक्षण, 39 वास्तविक कार्यशालाएँ और 11 ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किए हैं तथा जिले से आने वाले प्रतिभागियों और उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की एजेंसी को व्यक्तिगत प्रशिक्षण भी दिया है। मंत्रालय योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए ई-साक्षी पोर्टल के उपयोग पर प्रशिक्षण प्रदान करना जारी रखेगा।

इसके अतिरिक्त, माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गये/सामना किए गए उनके सामने आने वाले मुद्दों का समाधान करने हेतु संसद के प्रत्येक सत्र के दौरान महत्वपूर्ण कियोस्क लगाया जा रहा है। मंत्रालय ने माननीय सांसदों द्वारा ई-साक्षी एप के उपयोग से संबंधित छोटे वीडियो भी हिन्दी और अंग्रेजी दोनो भाषाओं में तैयार किए हैं और लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालयों के साथ इसे साझा किया है।

[सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या एच-11011/03/2021-संसद प्रकोष्ठ दिनांक 03-02-2025]

सिफारिश (क्रम सं. 3)

<u>भारतीय सांख्यिकीय संस्थान</u>

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान मुख्य रूप से बड़ी संख्या में परियोजनाओं/योजनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों में फैले विभिन्न सांख्यिकी के अनुसंधान, प्रशिक्षण और व्यावहारिक अनुप्रयोग के व्यापक कार्यक्रम आयोजित करने में लगा हुआ है। समिति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग केंद्र, जलवायु, खाद्य, ऊर्जा और पर्यावरण के अर्थशास्त्र पर अनुसंधान केंद्र, सॉफ्ट कंप्यूटिंग अनुसंधान केंद्र, आर. सी. बोस क्रिप्टोलॉजी और आईडियाज केंद्र - प्रौद्योगिकी नवाचार हब, कोयला सूचकांक और राष्ट्रीय खनिज सूचकांक के विकास जैसी राष्ट्रीय सुविधाओं के विकास की प्रगति के बारे में जानकर संतुष्ट है। समिति ने नोट किया है कि आईएसआई ने कुल 375.59 करोड़ का आवंटन किए है, जो कि 2023-24 के बजट अनुमान और वास्तविक अनुमान (31.03.2024 तक व्यय) क्रमशः 322.29 करोड़ रुपये और 312.80 करोड़ रुपये से काफी अधिक है, जो मुख्य रूप से वेतन और भत्तों में वृद्धि के कारण है। इस प्रकार समिति मंत्रालय से अनुरोध करती है कि वह आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य शीर्ष में भी प्रावधान बढ़ाए। समिति मंत्रालय को यह भी सुझाव देती है कि वह संस्थान को अपने अधिदेश को पूरा करने, विशेष रूप से शैक्षणिक कार्यक्रमों सहित अपनी चल रही परियोजनाओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए।

सरकार का उत्तर

यह सच है कि वेतन और भत्ते में वृद्धि, संकाय और कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति के कारण वास्तविक रूप से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान और वास्तविक अनुमान की तुलना में 2024-25 के लिए 375.59 करोड़ रुपये के आवंटन में वृद्धि हुई है।

संस्थान की विभिन्न गतिविधियों जैसे शैक्षणिक कार्यकलापों, वेतन, छात्रों को वजीफा, अवसंरचना का निर्माण और रखरखाव आदि के लिए संस्थान अपनी बजट योजना तैयार करता है, जिसमें मासिक व्यय आवश्यकता के साथ-साथ संस्थानों के पास उपलब्ध निधियों का विवरण और मंत्रालय से अनुदान सहायता में जारी निधियों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) शामिल है। आईएसआई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की जांच बजट आवंटन को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय में की जाती है, अनुदान सहायता के बजट शीर्षों में निधियों की उपलब्धता के अनुसार तिमाही/मासिक आधार पर आवश्यक वित्तीय और प्रशासनिक कार्रवाई करने के बाद तथा समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार धन जारी किया जाता है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय संस्थान के अनुसंधान, शैक्षणिक और संस्थागत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुशल निधि उपयोग सुनिश्चित करने के महत्व को स्वीकार करता है और बजट आवंटन में उतार-चढ़ाव और अनुदानों के कभी-कभार कम उपयोग को कम करने के लिए समिति की टिप्पणियों की सराहना करता है।

मंत्रालय संस्थान के पिछले उपयोग की प्रवृत्ति के साथ-साथ बजट अनुमान और संशोधित अनुमान चरणों के दौरान इसके द्वारा उठाई गई मांग की समीक्षा करता है। अवधि के दौरान धन के उपयोग के पैटर्न पर विचार करते हुए, संस्थान को बजट नियोजन और प्रबंधन की प्रणाली को मजबूत करने के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि धन की आवश्यकताओं की समय पर रिपोर्टिंग हो सके ताकि आवंटित और जारी किए गए बजट का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से किया जा सके, अनावश्यक बचत से बचा जा सके और एक पूर्वानुमानित व्यवस्था स्थापित की जा सके।

इसके अलावा, संस्थान को अपने अधिदेश को पूरा करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में मासिक आधार पर कार्यात्मक स्तर पर बैठक आयोजित की जा रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय संस्थान को अपने अनुसंधान बुनियादी संरचना को उन्नत करने के लिए लगातार मार्गदर्शन कर रहा है, जिसमें प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण, कम्प्यूटेशनल सुविधाओं का विस्तार और अत्याधुनिक अनुसंधान का समर्थन करने के लिए परिसर की सुविधाओं का उन्नयन शामिल है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय निधि आवंटन, उपयोग और परियोजना निष्पादन की दक्षता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

[सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या एच- 11011/03/2021-संसदीय प्रकोष्ठ दिनांक 03-02-2025]

सिफारिश (क्रम सं. 4)

राष्ट्रीय बाल सूचकांक का विकास

समिति यह नोट करती है कि बच्चों के अधिकारों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करने, बच्चों के जीवन, संरक्षण, भागीदारी और विकास से संबंधित कार्यक्रमों की निगरानी करने के लिए नीति निर्माण और योजना हेतु सामयिक और विश्वसनीय आंकड़ों की अत्यावश्यकता है और इस बात पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता है। बाल अधिकारों के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए समिति ने संस्तुति की है कि अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले बच्चों, सड़क पर रहने वाले बच्चों, स्कूल न जाने वाले बच्चों आदि के आंकड़े एकत्र करने के लिए एक प्रणाली बनाई जानी चाहिए। समिति ने नियमित बाल सर्वेक्षण आयोजित करने और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर राष्ट्रीय बाल सूचकांक तैयार करने की सिफारिश की है। समिति ने मंत्रालय को राज्य सरकारों के साथ मिलकर पंचायतों/नगरपालिका निकायों को शामिल करने का सुझाव दिया है, ताकि राष्ट्रीय बाल सर्वेक्षण के संचालन के लिए आंकड़े एकत्रित करने में सहायता मिल सके तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर बाल सूचकांक तैयार किया जा सके जिससे समय-समय पर बाल सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों की आवश्यकताओं का पता लगाया जा सके ताकि बाल श्रम को समाप्त करने तथा बाल अधिकारों की रक्षा के लिए एक प्रभावी नीति के रूप में उपयुक्त प्रतिक्रिया की परिकल्पना की जा सके। समिति चाहती है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के समन्वय से इस प्रक्रिया में तेजी लाए।

सरकार का उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने समय-समय पर सर्वेक्षण के माध्यम से मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत बच्चों की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय बाल सर्वेक्षण आयोजित करने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ सहयोग करने के लिए पहले ही चर्चा शुरू कर दी है। बाल सर्वेक्षण का

मुख्य उद्देश्य मिशन वात्सल्य के तहत बाल सूचकांक तैयार करना है, जो देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों और कानून के साथ संघर्षरत बच्चों के लिए एक योजना है।

वर्तमान में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सर्वेक्षण में विचार किए जाने वाले संकेतकों तथा सर्वेक्षण में उपयोग किए जाने वाली रूपरेखा आदि के संदर्भ में आवश्यकताओं के एक्सपलोर कर रहा है। जब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से आवश्यकताएं प्राप्त हो जाएंगी, तो तकनीकी समूहों/संचालन समिति की संस्तुति/सहमति के अध्यधीन, सर्वेक्षण शुरू करने की व्यवहार्यता की खोज की जाएगी।

[सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या एच-11011/03/2021-संसदीय प्रकोष्ठ दिनांक 03-02-2025]

(समिति की टिप्पणियों हेतु कृपया अध्याय - एक का पैरा सं. 1.10 देखें)

सिफारिश (क्रम सं. 5)

<u>जनशक्ति की कमी</u>

समिति ने मंत्रालय में जनशक्ति की कमी पर चिंता व्यक्त की है, विशेष रूप से कनिष्ठ सांख्यिकीय कार्यालय संवर्ग में; दिनांक 01 अक्टूबर 2024, की स्थिति के अनुसार 977 रिक्तियां हैं, जो कुल स्वीकृत क्षमता का 40.67% है। तथापि समिति मंत्रालय को संस्तुति करती है कि वह कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के साथ भर्ती के मामले को गंभीरता से आगे बढ़ाए ताकि रिक्तियों को इसी वित्तीय वर्ष में भरा जा सके।एनएसएसओ के क्षेत्र संकार्य प्रभाग में जनशक्ति की कमी के संबंध में, समिति सटीक और विश्वसनीय डेटा संग्रहण और नियमित आधार पर की जाने वाली गतिविधियों के लिए मिशन मोड के आधार पर अधिक नियमित क्षेत्र आधारित कर्मचारियों की भर्ती करने की सिफारिश करेगी।

सरकार का उत्तर

मौजूदा अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) नियमों के अनुसार, कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी (जेएसओ) के 90% पद कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएलई) के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हैं। शेष 10% पद फीडर पदों (वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 और स्तर 5 पर सांख्यिकीय कार्य पद) से पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं।

वर्ष 2024 के लिए भर्ती प्रक्रिया जनवरी 2024 में शुरू की गई थी, और उस समय, कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारियों के लिए 725 रिक्तियां सीजीएलई-2024 के माध्यम से भरने के लिए कर्मचारी चयन आयोग को सूचित की गई थी। सीजीएलई-2024 के लिए टियर-II परीक्षा दिनांक 18 जनवरी से दिनांक 20 जनवरी, 2025 तक होने वाली है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीजीएलई-2024 के अंतिम परिणाम जारी होने पर, कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी के लिए नियुक्ति प्रक्रिया तदनुसार शुरू की जाएगी।

[सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11011/03/2021-संसदीय प्रकोष्ठ दिनांक 03-02-2025]

सिफारिश (क्रम सं. 6)

<u>आठवीं आर्थिक गणना</u>

समिति समझती है कि आर्थिक गणना भूगोल के सबसे निचले स्तर पर औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में गैर-कृषि प्रतिष्ठानों की कुल संख्या तथा उनमें काम करने वाले श्रमिकों की संख्या के साथ-साथ अन्य क्रॉस-सेक्शनल मापदंडों की जानकारी देती है। यह देश में सभी प्रतिष्ठानों की आर्थिक गतिविधियों, स्वामित्व पैटर्न, वित्त के स्रोत आदि के समूहों में मूल्यवान सूचना प्रदान करता है। समिति ने नोट किया है कि सातवीं आर्थिक गणना को वैश्विक महामारी कोविड-19 में फैले क्षेत्र कार्य के कारण गंभीर देरी का सामना करना पड़ा, जिससे डेटा की सटीकता को लेकर चिंताएं पैदा हुईं। सातवीं आर्थिक गणना की स्थिति दिनांक 13.07.2023 की बैठक में सचिवों की समिति (सीओएस) के समक्ष रखी गई और सीओएस ने अन्य बातों के साथ-साथ संस्तुति की कि सातवीं आर्थिक गणना के परिणामों को प्रकाशित करना संभव नहीं हो सकता है और मंत्रालय ने इसे प्रकाशित नहीं किया। इस संबंध में, समिति यह अवगत कराना चाहेगी कि क्या अतीत में भी ऐसे उदाहरण रहे हैं और इसका उन पर ऐसा ही प्रभाव पड़ा है। साथ ही, ऐसी असाधारण स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक तंत्र मौजूद हैं। इस प्रकार समिति ने संस्तुति की है कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिएँ कि आठवीं आर्थिक गणना समय पर पूरी हो और एकत्र किए गए डेटा सटीक और विश्वसनीय हों। भविष्य में इस तरह के मुद्दों को रोकने के लिए मंत्रालय को डेटा संग्रहण और प्रसंस्करण के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए। मंत्रालय को आठवीं आर्थिक गणना का सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए राज्य

और संघ राज्य क्षेत्र के सरकारों के साथ भी सहयोग करना चाहिए। मंत्रालय को गणनाकर्ताओं को पर्याप्त प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करना चाहिए और बाधाओं को दूर करने के लिए मजबूत गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को लागू करने पर ध्यान देना चाहिए।

सरकार का उत्तर

7वीं आर्थिक गणना के अलावा, ऐसा कोई अन्य उदाहरण नहीं है, जहां आर्थिक गणना का परिणाम प्रकाशित न किया गया हो।

7वीं आर्थिक गणना के आंकड़ों को अंतिम रूप देने के समय, राज्य सरकारों ने 6ठी आर्थिक गणना के संबंधित आंकड़ों की तुलना में कवरेज, आर्थिक गतिविधि का गलत वर्गीकरण, दोहराव और असामान्य भिन्नताओं सहित डेटा से संबंधित कई मुद्दों का रिपोर्ट किया । यह नोट किया गया कि जब अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद थे, तब क्षेत्र कार्य वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान आयोजित किया गया था, इसलिए डेटा देश में उद्यमशीलता गतिविधि का सही विवरण नहीं दे सकता है। इस प्रकार, विस्तृत चर्चा के बाद, दिनांक 13 जुलाई, 2023 को मंत्रिमंडल सचिव द्वारा ली गई बैठक में, यह अनुशंसा की गई कि "7वीं आर्थिक गणना के परिणामों को प्रकाशित करना संभव नहीं हो सकता है"।

भविष्य में, किसी आपदा/महामारी या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, असामान्य अवधि में डेटा संग्रहण से बचने के लिए आर्थिक गणना की समयसीमा को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा।

8वीं आर्थिक गणना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के करीबी समन्वय से क्रियान्वित की जाएगी। क्षेत्र कार्य/प्रशिक्षण/परिणामों को अंतिम रूप देने आदि की भूमिका राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। मंत्रालय ने 8वीं आर्थिक गणना के क्षेत्र कार्य और अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्पष्ट समयसीमा निर्धारित की है।

[सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या एच-11011/03/2021-संसदीय प्रकोष्ठ दिनांक 03-02-2025]

(समिति की टिप्पणियों हेतु कृपया अध्याय एक का पैरा सं. 1.13 देखें)

अध्याय-तीन

सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

-शून्य-

अध्याय-चार

सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है

-शून्य-

अध्याय-पांच

सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

-शून्य-

नई दिल्ली;
29 जुलाई, 2025
03 श्रावण,1947 (शक)

भर्तृहरी महताब
सभापति,
वित्त संबंधी स्थायी समिति

अनुबंध

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2024-25) की तीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक मंगलवार, 29 जुलाई, 2025 को 1430 बजे से 1615 बजे तक समिति कमरा संख्या '62', संविधान सदन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री भर्तृहरि महताब – सभापति

लोकसभा

2. श्री पी.पी.चौधरी
3. श्री के. गोपीनाथ
4. श्री चुड़ासमा राजेशभाई नारणभाई
5. श्री अरुण नेहरू
6. श्रीमती संध्या राय
7. डॉ. जयंतकुमार राय
8. डॉ. के. सुधाकर
9. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
10. श्री प्रभाकररेड्डी वेमिरेड्डी

राज्य सभा

11. श्री एस. सेल्वागनबेथी
12. श्री संजय सेठ
13. श्रीमती दर्शना सिंह

सचिवालय

1.	श्री गौरव गोयल	-	संयुक्त सचिव
2.	श्रीमती भारती संजीव टुटेजा	-	निदेशक
3.	श्री कुलदीप सिंह राणा	-	उप सचिव
4.	श्री टी. माथिवनन	-	उप सचिव

भाग – एक

2. XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX.

(तत्पश्चात, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए)

भाग – दो

3. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित प्रारूप की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों को विचार करने और स्वीकार करने के लिए लिया:

(एक) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं, सार्वजनिक उद्यम और निवेश तथा सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2024-25)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन।

(दो) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2024-25)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

(तीन) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2024-25)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।

(चार) योजना मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2024-25)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन।

(पांच) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2024-25)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अठारहवां प्रतिवेदन।

(छह) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, सार्वजनिक उद्यम तथा निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2025-26)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी उन्नीसवां प्रतिवेदन।

(सात) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2025-26)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बीसवां प्रतिवेदन।

(आठ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2025-26)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन।

(नौ) योजना मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2025-26)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बाईसवां प्रतिवेदन।

(दस) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2025-26)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेईसवां प्रतिवेदन।

(ग्यारह) वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2025-26)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौबीसवां प्रतिवेदन।

4. कुछ विचार-विमर्श के पश्चात, समिति ने उपर्युक्त प्रारूप की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों को स्वीकार कर लिया तथा सभापति को उन्हें अंतिम रूप देने तथा संसद में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

* * *

परिशिष्ट

(प्राक्कथन का पैरा 4 देखें)

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 'अनुदानों की माँगों (2024-25) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति (अठारहवीं लोक सभा) के पाँचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण

		कुल	**कुल का प्रतिशत**
(एक)	सिफारिशों की कुल संख्या	06	
(दो)	सिफारिशें/टिप्पणियाँ जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है (देखें सिफ़ारिश क्रम सं. 1,2,3,4,5 और 6)	06	100.00%
(तीन)	सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती	शून्य	--
(चार)	सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है:	शून्य	--
(पाँच)	सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नही हुए हैं	शून्य	--